दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 23/06/2017 का कार्यवृत्त

उपस्थितिः

1	प्रो0 विजय कृष्ण सिंह	कुलपति	अध्यक्ष
2	प्रो0 एस0के0 दीक्षित	अधिष्ठाता, कला संकाय	सदस्य
3	प्रो0 श्रीमती शेफाली सिंह	अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय	सदस्य
4	प्रो0 चन्द्रशेखर	प्रतिनिधि, अधिष्ठाता, विधि संकाय	सदस्य
5	डॉ0 प्रकाश सिंह	अधिष्ठाता, कृषि संकाय	सदस्य
6	प्रो0 सी0पी0 श्रीवास्तव	आचार्य, दर्शनशास्त्र विभाग	सदस्य
7	डॉ0 रामप्रकाश यादव	वरिष्ठ शिक्षक, बुद्ध पी0जी0 कालेज, कुशीनगर	सदस्य
8	डॉ0 एस0एन0 शर्मा	अध्यक्ष, गुआक्टा	सदस्य
9	डॉ0 अमरेन्द्र कुमार सिंह	परीक्षा नियंत्रक	सचिव
10	डॉ0 देवेन्द्र नाथ तिवारी	प्राचार्य, नेशनल पी0जी0 कालेज, बड़हलगंज, गोरखपुर	विशेष आमंत्रित

1. श्री हृदयनारायण शुक्ला पुत्र श्री राजेश्वर शुक्ला के बी0एस–सी0 भाग एक वर्ष–1996 अनुक्रमांक–82192, बी0एस–सी0 भाग दो वर्ष–1997 अनुक्रमांक–91832 एवं बी0एस–सी0 भाग तीन वर्ष–1998 अनुक्रमांक–100256, नेशनल पी0जी0 कालेज, बड़हलगंज, गोरखपुर के परीक्षाफल की जांच हेतु माननीय कुलपति जी द्वारा गठित समिति–

    1. प्रो0 आर0पी0 पाण्डेय, रसायन शास्त्र विभाग।
    2. प्रो0 दिनेश यादव, बायोटेक्नोलॉजी विभाग।
    3. प्राचार्य, नेशनल पी0जी0 कालेज, बड़हलगंज, गोरखपुर।
    4. परीक्षा नियंत्रक–प्रस्तुतकर्ता।

    की जाँच आख्या/संस्तुति पर विचार–

निर्णयः– श्री हृदयनारायण शुक्ला पुत्र श्री राजेश्वर शुक्ला के बी0एस–सी0 भाग एक वर्ष–1996 अनुक्रमांक–82192, बी0एस–सी0 भाग दो वर्ष–1997 अनुक्रमांक–91832 एवं बी0एस–सी0 भाग तीन वर्ष–1998 अनुक्रमांक–100256, नेशनल पी0जी0 कालेज, बड़हलगंज, गोरखपुर के परीक्षाफल की जांच हेतु माननीय कुलपति जी द्वारा गठित समिति की संस्तुतियां को विस्तृत विचारापरान्त सर्वसम्मत्ति से स्वीकार किया।

समिति द्वारा की गयी जांच/संस्तुतियां का मुख्य अंश निम्नवत है–

"जांच समिति के समक्ष नेशनल पी0जी0 कालेज, बड़हलगंज, गोरखपुर में कार्यरत श्री रणविजय कुमार पुत्र श्री जयराम पुस्तकालय लिपिक द्वारा उपस्थित होकर निम्न बयान दिया–

I. *बी0एस–सी0 प्रथम वर्ष–1996 महाविद्यालय की सारणीयन पंजिका को देखकर बताया कि अनुक्रमांक का रेंज हर पेज पर रहता है। अनुक्रमांक–81825 से 82191 हर पेज पर अंकित है परन्तु आखिरी पेज पर अनुक्रमांक का रेंज 81825 से 82192 तक अंकित है, जो गलत है।*

II. *बी0एस–सी0 भाग दो वर्ष–1997 महाविद्यालय की सारणीयन पंजिका देखकर बताया कि अनुक्रमांक का रेंज हर पेज पर रहता है। अनुक्रमांक–91675 से 91831 तक हर पेज पर अंकित है। परन्तु आखिरी पेज पर अनुक्रमांक का रेंज 91675 से 91832 तक अंकित है, जो गलत है।*

III. *बी0एस–सी0 भाग तीन वर्ष–1998 महाविद्यालय की सारणीयन पंजिका को देखकर बताया कि अनुक्रमांक का रेंज हर पेज पर रहता है। अनुक्रमांक 100125 से 100255 तक अंकित है, परन्तु आखिरी पेज पर 100125 से 100256 तक अंकित है, जो गलत है।*

IV. *अनुक्रमांक–81089 एवं अनुक्रमांक 100256 की अंकतालिका दिनांक 08/11/1998 हमारे महाविद्यालय द्वारा निर्गत नहीं है।*

V. *द्वितीय प्रति की अंकतालिका जो हमारे महाविद्यालय से अनुक्रमांक–100256, हृदयनारायण शुक्ला का दिनांक 07/11/2014 को जारी हुआ है वह सही है।*

VI. *मुझे महाविद्यालय अभिलेख कक्ष का कार्यभार जुलाई माह सन–2014 से मिला है।*
तीनों सारणीयन पंजिकाओं को देखने से प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत हो रहा है।

समिति ने यह भी पाया कि महाविद्यालय की बी०एस–सी० तृतीय वर्ष 1998 के सारणीयन पंजिका का अंतिम पृष्ठ पूरी तरह से बदल दिया गया है, जिसमें इसके प्रिंटिंग का फान्ट, नीचे कर्मचारियों एवं अधिकारियों के हस्ताक्षर भी पूर्व पृष्ठ से पूरी तरह अलग है।...

सम्पूर्ण तथ्यों के अभिलेखीय परीक्षण से समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि विश्वविद्यालय ने नेशनल पी०जी० कालेज, बड़हलगंज गोरखपुर को बी०एस–सी० भाग एक वर्ष–1996, विश्वविद्यालय द्वारा अनुदानित अनुक्रमांक--81825 से 82191 तक बी०एस--सी० भाग दो वर्ष–1997, विश्वविद्यालय द्वारा अनुदानित अनुक्रमांक--91675 से 91831 तक एवं बी०एस--सी० भाग तीन वर्ष--1998 विश्वविद्यालय द्वारा अनुदानित अनुक्रमांक--100125 से 100255 तक ही अनुदानित है, एवं इसे सही मानते हुए श्री हृदयनारायण शुक्ला के बी०एस--सी० तीनों वर्षों के अंकपत्रों में दर्ज अनुक्रमांक महाविद्यालय के सारणीयन पंजिका के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा अनुदानित अनुक्रमांक के अन्तर्गत नहीं है।

अतः अभिलेखीय दस्तावेजों के परीक्षण एवं महाविद्यालय के पटल सहायक के बयान के आधार पर समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि –

(क) श्री हृदयनारायण शुक्ला पुत्र श्री राजेश्वर शुक्ला की बी०एस–सी० भाग एक वर्ष–1996, अनुक्रमांक--82192, बी०एस–सी० भाग दो वर्ष--1997, अनुक्रमांक--91832 एवं बी०एस--सी० भाग तीन वर्ष--1998, अनुक्रमांक--100256, केन्द्र–नेशनल पी०जी० कालेज, बड़हलगंज, गोरखपुर द्वारा निर्गत अंकपत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

(ख) पूर्व में श्री हृदयनारायण शुक्ल के बी०एस–सी० भाग तीन वर्ष 1998 की सत्यापन आख्या निष्प्रभावी/निरस्त मानी जाय।

(ग) समिति इस सन्दर्भ में महाविद्यालय स्तर पर सारणीयन पंजिकाओं में की गयी टेम्परिंग के सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही (एफ०आई०आर०) की संस्तुति करती है।

(घ) साथ ही विश्वविद्यालय के बी०एस–सी० तीनों वर्षों के सम्बन्धित सारणीयन पंजिका के अंतिम पृष्ठ के गायब होने के सम्बन्ध में जॉच हेतु एक अलग से समिति गठित करने की संस्तुति करती है।"

तदक्रम में समिति ने उपरोक्त संस्तुति के अनुरूप अग्रेत्तर कार्यवाही करने का निर्णय लिया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दु –

1: कतिपय महाविद्यालयों द्वारा वर्ष–2017 की वार्षिक परीक्षा में विश्वविद्यालय के स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी, बिना विश्वविद्यालय की अनुमति के विभिन्न कक्षाओं के कुछ छात्रों का आनलाईन परीक्षाफार्म न भरकर परीक्षा के समय स्वयं अंतिम अनुक्रमांक आवंटित करके छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित करा लिया गया है। ऐसे छात्रों के परीक्षाफल घोषित करने पर विचार--

निर्णय– विश्वविद्यालय के स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी, बिना विश्वविद्यालय की अनुमति के विभिन्न कक्षाओं के कुछ छात्रों का आनलाईन परीक्षाफार्म न भरकर अंतिम अनुक्रमांक आवंटित करके कतिपय परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित करा लिया जाना, विश्वविद्यालय के आदेश/निर्देश की पूरी तरह अवहेलना है, अतएव यह प्रकरण गम्भीर प्रकृति का है।

अतः समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि ऐसे महाविद्यालयों से अर्थदण्ड के रूप में रू0 5000.00 प्रति छात्र की दर से विश्वविद्यालय में जमा करा कर परीक्षाफार्म की प्रक्रिया पूर्ण कराकर निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा कराकर विभिन्न कक्षाओं की परीक्षा हेतु बिना आनलाईन फार्म भरने वाले परीक्षा में सम्मिलित छात्रों का परीक्षाफल घोषित कर दिया जाय। साथ ही सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष को इस आशय की चेतावनी पत्र भी निर्गत किया जाय कि, भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति उनके द्वारा न हो।

समिति ने सम्बन्धित महाविद्यालयों से अर्थदण्ड रू0 5,000.00 प्रति छात्र जमा कराने की स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद को सन्दर्भित किया।

2. समिति के सदस्यों ने यह प्रस्तावित किया कि कुलसचिव स्तर से प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय से स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में कक्षावार एवं पाठ्यक्रमवार छात्र/छात्राओं की सूची नाम, पिता का नाम एवं अन्य आवश्यक विवरण सहित (साफ्ट एवं हार्ड कापी में) प्रत्येक दशा में 25 अक्टूबर 2017 तक प्राप्त कर आनलाईन परीक्षाफार्म भरने हेतु 28 अक्टूबर 2017 तक परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में अवश्य उपलब्ध कराया जाय। इसे समिति ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया।

अन्त में अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ समिति की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

परीक्षा नियंत्रक

कुलपति 23/10/17